

क्रमांक/राजस्व/

92/15

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

संपरिवर्तन आदेश

दिनांक:

29-5-15

रघु बाल निकेतन शिक्षा समिति मण्डेला जरिये सचिव राजेश कुमार पुत्र बजरंग लाल, जाति जाट, निवासी साखन ताल, तहसील राजगढ़, जिला चुरू राजस्थान में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	रघु बाल निकेतन शिक्षा समिति मण्डेला जरिये सचिव राजेश कुमार पुत्र बजरंग लाल, जाति जाट, निवासी साखन ताल, तहसील राजगढ़, जिला चुरू राजस्थान
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य है।	नहीं
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा:- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का ख.नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में) टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ग्राम मण्डेला, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं खसरा नं. 938/2/1 रकबा 0.2350 है० खसरा नं. 938/2/1 रकबा 0.2350 है० में से 2350 वर्ग मीटर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक
5	चालान की संख्या तथा तारीख	चालान सं. 14 दिनांक 26.05.15 राशि 37,665/- रुपये
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	नहीं
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
9	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं
10	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगा:- 1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमिका उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किया बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समग्रतः हो जायेगा। 3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमिका उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। 4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। 5. इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी छोड़कर निर्माण किया जायेगा। 6. निकटस्थ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी। 7. राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिए आवेदक बाध्य होगा। 8. शैक्षणिक निर्माण 60:40 नियमों के अनुसार किया जावेगा।	

उपखण्ड अधिकारी

चिड़ावा

क्रमांक/राजस्व/ 92/15 333-336

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. तहसीलदार/उप-पंजीयक चिड़ावा।

दिनांक: 29-5-15



कमांक/राजस्व/116/17

संपरिवर्तन आदेश

रघु बाल निकेतन शिक्षा समिति मण्डेला जरिये सचिव राजेश कुमार पुत्र बजरंग लाल, जाति जाट, निवासी साखन ताल, तहसील राजगढ़, जिला चूरु राजस्थान में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधिन अकृषक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	रघु बाल निकेतन शिक्षा समिति मण्डेला जरिये सचिव राजेश कुमार पुत्र बजरंग लाल, जाति जाट, निवासी साखन ताल, तहसील राजगढ़, जिला चूरु राजस्थान
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा:- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का ख. नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर में)	ग्राम मण्डेला, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू खसरा नं. 951/2/1 रकबा 0.1600 है० खसरा नं. 951/2/1 रकबा 0.1600 है० में से 1100 वर्ग मीटर
टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति सलग्न है।		
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक
5	चालान की संख्या तथा तारीख	चालान सं. 220 दिनांक 16.03.17 राशि 156,815/-रुपये
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	नहीं
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधिन जारी किया जाता है।	नहीं
9	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं
10	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:- 1. उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमिका उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किया बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा। 3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमिका उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। 4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। 5. इण्डियन रोड कांफ्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी छोड़कर निर्माण किया जायेगा। 6. निकटस्थ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी। 7. राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिए आवेदक बाध्य होगा। 8. शैक्षणिक निर्माण 60:40 नियमों के अनुसार किया जावेगा।	

कमांक/राजस्व/116/17/431-435

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. तहसीलदार/उप-पंजीयक चिड़ावा।
2. सर्वसभ ग्राम पंचायत मण्डेला।
3. रघु बाल निकेतन शिक्षा समिति मण्डेला जरिये सचिव राजेश कुमार पुत्र बजरंग लाल, जाति जाट, निवासी साखन ताल, तहसील राजगढ़, जिला चूरु राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी  
चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राज.)

दिनांक 17/3/17

उपखण्ड अधिकारी  
चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राज.)